छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

क्रमांक एफ 7–6/05/1/6/ रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर, 2005

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, रायपुर ।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित आवेदन प्राप्त करने संबंधी ।

शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित आवेदन–पत्रों को प्राप्त करने के संबंध में विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–1/05/1/6 दिनांक 11.10.2005 से निर्देश दिये गये है । यह भी निर्देश दिये गये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यालय सहायक जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे ।

शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभागों में अभी तक सहायक जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं किये गये हैं । साथ ही आवेदन–पत्र के साथ नगद शुल्क जमा करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं किये जा रहे है । इससे सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है ।

शासन स्तर पर नियुक्त सहायक जन सूचना अधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों को प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन–पत्र जिसमें आवेदक द्वारा नगद शुल्क जमा किया जाता है, के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि आवेदक नगद राशि का भुगतान मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय के कार्यालय में शुल्क की राशि जमा कर पावती प्राप्त करे, उसके पश्चात् संबंधित विभाग के सहायक/जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दें । इसी प्रकार समस्त विभाग अतिशीघ्र सहायक जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारियों के नाम सूचना पटल पर प्रदर्शित करें । कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन तत्काल किया जाए।

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 7–6/05/1/6/ रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2005

प्रतिलिपिः– –

1. मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय ।
2. संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफीसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग